

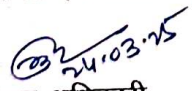
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 51/सन-2024- 25

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24.03.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०- 51/2024- 25 आवेदक समीम अंसारी, पिता- कमरुद्दीन अंसारी, साकिन- पारहोडीह, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदक ने अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- पारहोडीह, थाना नं०- 143 के भौतिक पंजी- II के भाग सं०- II, पृष्ठ सं०- 61 पर कायम जमाबंदी कादीर मियां वगैरह से 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां एवं 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने का आवेदन किया है प्राप्त आवेदन के आलोक में उन्होंने विविध वाद के आधार पर नियम अनुसार 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां एवं 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा- पारहोडीह/143 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- II पृष्ठ सं०- 61 पर कायम जमाबंदी में से 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आम इस्तेहार में जमाबंदी में दर्ज रैयत इदरीस मियां तथा रही मियाँ मे जीवित वारिशानों ने भी हस्ताक्षर किया है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जमाबंदी में दर्ज रैयत इदरीस मियाँ तथा रही मियाँ के जीवित वारिशानों ने अपना वंशावली भी मुखिया से सत्यापित करके समर्पित किया है। साथ ही शपथ पत्र सं०- 68, दिनांक- 13.03.2025 के माध्यम से भी इदरीस मियाँ तथा रहीम मियाँ के जीवित वारिशानों ने वंशावली उपलब्ध कराया है तथा शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उनलोगों के पिता इदरीस मियाँ पिता बुधन मियाँ तथा 2. रहीम मियाँ पिता सुकर मियाँ का नाम अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- पारहोडीह, थाना नं०- 143 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- 02, पृष्ठ सं०- 61 पर कायम जमाबंदी में से हटा दिया जाए। जाँच प्रतिवेदन, शपथ पत्र सं०- 68/13.03.2025, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- पारहोडीह/143 के ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- II पृष्ठ सं०- 61 पर कायम जमाबंदी में से 1. इदरिश मियां पिता बुधन मियां 2. रहिम मिया पिता सुकर मियां का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	